भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 864

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाएँ

864. श्री राम शिरोमणि वर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत तालाबों, कुओं और नलकूपों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन जिलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन जिलों में जल संचयन और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का क्रियान्वयन कर रही है, जिसका एक घटक हर खेत को पानी (एचकेकेपी) है और भूजल (जीडब्ल्यू) योजनाओं को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू योजना के तहत कुल 14,752 कुओं का निर्माण किया गया है, जिनमें बलरामपुर जिले में 2,400 कुएँ शामिल हैं। हालाँकि, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू योजना लागू नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के तहत, उत्तर प्रदेश में कुल 2,92,561 कृषि तालाबों का निर्माण किया गया है, जिनमें बलरामपुर में 6528 और श्रावस्ती ज़िले में 1095 शामिल हैं। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत कुल 89,829 कुएँ भी बनाए गए हैं, जिनमें बलरामपुर में 1,619 और श्रावस्ती ज़िले में 219 शामिल हैं।

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना" के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तालाबों, कुओं और नलकूपों का प्रस्ताव रखा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश में स्वीकृत तालाबों, कुओं और नलकूपों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) का क्रियान्वयन कर रहा है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक, पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में क्रियान्वित किया गया। वर्ष 2022-23 से, यह योजना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) घटक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कुल 4,95,542 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें बलरामपुर जिले में 6,457 हेक्टेयर और श्रावस्ती जिले में 3,531 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

(ग): श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित पूरे देश में जल संचयन और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैं:

1. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएँ तैयार कर ली गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा कर दी गई हैं। आपूर्ति पक्ष से, प्रस्तावित उपायों में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, कृषि जल प्रबंधन योजना, तालाबों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार, राप्ती नदी के किनारे तटबंधों का निर्माण और जल उपयोग दक्षता तरीकों को अपनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित जन संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित करता है, जिसका उद्देश्य भूजल की कमी, सतत जल संरक्षण तरीकों और क्षेत्र-विशिष्ट भूजल चुनौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है।

2. सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया है, जो एक वृहद स्तर की योजना है, जो अनुमानित लागत सहित देश के विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में, शहरी क्षेत्र के लिए रूफ-टॉप वर्षा जल संचयन का सुझाव दिया गया है, जिसमें क्रमशः 0.0084 वर्ग किमी और 0.0688 वर्ग किमी क्षेत्र को रूफ-टॉप वर्षा जल संचयन के रूप में माना गया है। डीपीआर को संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा किसी अन्य जलापूर्ति परियोजना या शहर विकास परियोजना की तरह कार्यान्वयन योग्य स्तर पर तैयार किया जाना है। कार्यान्वयन केवल संबंधित राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के माध्यम से किया जाना है और कार्यान्वयन के लिए कोई अलग योजना/निधि की परिकल्पना नहीं की गई है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है।

3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012), अन्य बातों के साथ-साथ, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की वकालत

करती है और वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह नीति यह भी कहती है कि नदी, नदी निकायों और बुनियादी अवसंरचना का संरक्षण सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से नियोजित तरीकों से किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जल निकायों और जल निकासी चैनलों पर अतिक्रमण और डायवर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जहाँ कहीं भी ऐसा हुआ है, उसे यथासंभव बहाल किया जाना चाहिए और उचित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।

4. मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल बिल परिचालित किया है ताकि वे भूजल विकास के नियमन हेतु उपयुक्त कानून बना सकें, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अभी तक, उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून को अपनाया और लागू किया है। जल संसाधन विभाग के सचिव/ केंद्रीय भूजल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ की गई सभी उच्च-स्तरीय बैठकों में आरडब्ल्यूएच की अनिवार्यता पर बल दिया गया है।

5. जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को आरडब्ल्यूएच और एआर के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 31.03.2023 को एक परामर्श जारी किया है, जिसमें एसओपी तथा क्या करें और क्या न करें की जानकारी भी शामिल है। आरडब्ल्यूएच के मानकों पर बीआईएस दस्तावेज़ भी इस परामर्श में शामिल किया गया है। सीजीडब्ल्यूए ने यह परामर्श सभी एसजीडब्ल्यूए और संबंधित राज्यों के प्रधान सचिवों को भेज दिया है।

6. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग बॉय-लॉ, 2016 जारी किए हैं, जिनमें 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार के भूखंडों वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा जल संचयन की अनुशंसा की गई है। अभी तक, उत्तर प्रदेश सहित 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने भवन उपनियमों में इन प्रावधानों को शामिल कर लिया है।

7. जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में 256 जल-संकटग्रस्त जिलों में समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का शुभारंभ किया। इन प्रयासों को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय जल मिशन ने वर्ष 2020 में कैच द रेन (सीटीआर) अभियान शुरू किया, जिसे बाद में वर्ष 2021 में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) में शामिल कर दिया गया, जिससे पूरे भारत में सभी जिलों, विकास ब्लाकों और नगर पालिकाओं तक कवरेज का विस्तार हुआ। जल शक्ति अभियान:कैच द रेन, राष्ट्रीय जल मिशन का एक प्रमुख अभियान है, जिसमें मनरेगा; अमृत; मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार योजना; वाटर शेड विकास योजना; पर ड्रॉप मोर क्रॉप आदि जैसे सभी विकास कार्यक्रमों का अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण शामिल है। इसके अलावा, जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके

अतिरिक्त, जिलों ने अपने-अपने जिलों में सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की हैं।

8. जेएसए:सीटीआर को और मज़बूत करने के लिए, जल शक्ति अभियान:कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) के अंतर्गत 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में शुरू की गई "जल संचय जन भागीदारी "(जेएसजेबी) पहल, संतृप्ति मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण हेतु सामुदायिक लामबंदी को तेज़ करने पर केंद्रित है। जेएसए: सीटीआर और जेएसजेबी के तहत बलरामपुर के 871 और श्रावस्ती के 675 जलाशयों पर काम शुरू किया गया है।

9. महात्मा गांधी नरेगा के खंड 4(3), पैरा 4(1) की अनुसूची I के अनुसार, I. श्रेणी: क: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य:भूजल को बढ़ाने और सुधारने के लिए जल संरक्षण तथा जल संचयन संरचना जैसे भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, स्टॉप डैम, चेक डैम और सरकारी या पंचायत भवन में रूफ-टॉप वर्षा जल संचयन संरचना, जिसमें पेयजल स्रोत सहित भूजल पुनर्भरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अनुमेय हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाएँ" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 864 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना" के अंतर्गत श्रावस्ती एवं बलरामपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश में स्वीकृत तालाबों, कुओं एवं ट्यूबवेलों का विवरण।

क्र.सं.	योजनाएं	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	बलरामपुर
1	उथले नलकूप	198273	2975	4400
2	मध्यम गहरे नलकूप	9345	12	0
3	गहरे नलकूप	4282	12	2
4	तालाब	204	-	-
5	ब्लास्ट कूएं	1178	-	-

*****